



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2026/D-510

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 307856 दिनांक 24/06/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Ravi Prakash Meena S/o J. L. MEENA	अनिल कुमार अग्रवाल पुत्र भगवती प्रसाद अग्रवाल	160	444.44 SQ. METER	Private	GANGA VIHAR ENCLAVE	Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) Original Lease Deed (Patta)	सुमित का ँलोनाइजर्स प्रा.लि. की योजना गंगा विहार योजना के भूखण्ड संख्या 160 क्षेत्रफल 444.44 व.मी. की लीजडीड दिनांक 31.03.2011 को अनिल कुमार अग्रवाल पुत्र भगवती प्रसाद अग्रवाल के नाम से जारी किया गया है। तत्पश्चात् उक्त भूखण्ड का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 04.01.2021 को अनिल कुमार अग्रवाल पुत्र भगवती प्रसाद अग्रवाल द्वारा लोकेश अग्रवाल पुत्र नरसीलाल अग्रवाल को कर दिया गया। तत्पश्चात् उक्त भूखण्ड का बेचान



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

जरिये रजिस्टर्ड
विक्रय पत्र दिनांक
08.10.2021 को
लोकेश अग्रवाल
पुत्र नरसीलाल
अग्रवाल द्वारा
रवि प्रकाश मीना
पुत्र झब्बू लाल
मीना को कर
दिया गया।
आवेदक द्वारा
लीजहोल्ड से
फ्रीहोल्ड हेतु
आवेदन किया
गया है। अतः
पत्रावली
अवलोकनार्थ एवं
आदेशार्थ प्रस्तुत
है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Ravi Prakash Meena S/o J. L. MEENA को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।